चुनाव तुरन्त

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकःएफ.8(2)(12)निर्वा/2013/ 5344 जयपुर, दिनांकः ~~06~~ 7.10.2013

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर),
जयपुर।

विषयः पेम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियन्त्रण।
संदर्भः भारत निर्वाचन आयोग का आदेश क्रमांक 3/9/(ES008)/94/JS-2 दिनांक 02.09.1994 एवं क्रमांक 3/9/2004/JS-2 दिनांक 24.08.2004.

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि आगामी विधानसभा आम चुनाव के कार्यक्रम की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 04.10.2013 को घोषणा कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक आदेश दिनांक 2.9.94 में निर्देश है कि जैसे ही निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा आयोग द्वारा की जावें उसके 3 दिवस के भीतर राज्य की राजधानी में स्थित मुद्रक, मुद्रणालयों/प्रिन्ट मीडिया को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127–क एवं आयोग के आदेश दिनांक 2.9.1994 की अपेक्षाओं के अनुसार नोटिस दिया जायेगा।

अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ नोटिस/पत्र संलग्न कर लेख है कि कृपया जयपुर शहर में स्थित समस्त मुद्रकों/मुद्रणालयों/प्रिन्ट मीडिया को दिनांक 09.10.2013 तक आवश्यक रूप से तामील कराकर रिपोर्ट इस विभाग को दिनांक 10.10.2013 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

6/10

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकःएफ.8(2)(12)निर्वा/2013/ जयपुर,दिनांकः

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः .....
.....

(मुद्रक/मुद्रणालय का नाम)

विषयः विधानसभा आम चुनाव 2013 – पम्पलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियन्त्रण।

संदर्भः भारत निर्वाचन आयोग का आदेश क्रमांक 3/9/(ES008)/94/JS-2 दिनांक 02.09.1994.

महोदय,

राजस्थान विधानसभा का आम चुनाव सम्पन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा दिनांक 04.10.2013 को कर दी है, जिसके अनुसार दिनांक 01.12.2013 को मतदान होगा और निर्वाचन प्रक्रिया दिनांक 11.12.2013 को पूर्ण होगी।

उक्त चुनाव के सिलसिले में विभिन्न राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, उनके समर्थकों/कार्यकर्ताओं, व्यक्तियों, संगठनों, संस्थाओं द्वारा ऐसे पम्फलेट, पोस्टर, विज्ञापन, हैंडबिल आदि प्रकाशित कराने हेतु मुद्रित कराया जाना संभावित है, जो किसी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी के पक्ष में या विपक्ष में चुनाव अभियान को प्रोत्साहित करने वाले हो सकते हैं।

ऐसे पम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में आपका ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127–क के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जो निम्न प्रकार है :–

"127–क. पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण –

(1) कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टरों को प्रकाशित या मुद्रित नहीं करेगा या मुद्रित या प्रकाशित नहीं करायेगा, जिसके मुख पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न दिया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक पैम्फलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करेगा या करवायेगा –

(क) जब तक कि उसके प्रकाशक के पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों द्वारा, जिनको वह व्यक्तिगत रूप से जानता हो, सत्यापित कर दो प्रतियों में उसके द्वारा मुद्रक को नहीं दे दी जाती, और

(ख) जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तिसंगत समय के भीतर घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के साथ, मुद्रक द्वारा –

(i) जहाँ वह मुद्रित हुआ हो, उस राज्य की राजधानी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, और

(ii) किसी अन्य मामले में, उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को, जहाँ वह मुद्रित किया गया हो, भेज न दिया जाये।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिये –

(क) किसी दस्तावेज की प्रतियों की संख्या को बढ़ाने के लिये हाथ द्वारा नकल करने को छोड़कर कोई भी प्रक्रिया को मुद्रक समझा जायेगा और 'मुद्रक पद' का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा, और

(ख) निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर का तात्पर्य किसी मुद्रित पैम्फलेट हैंड बिल या अन्य दस्तावेज से है, जो किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को प्रोत्साहित करने या पक्षपात/प्रतिकूल करने के लिये वितरित किया जाये या किसी इश्तहार या पोस्टर से है, जिसमें किसी निर्वाचन का कोई संदर्भ हो, किन्तु उसमें ऐसा कोई हैंडबिल, इश्तहार या पोस्टर सम्मिलित न होगा, जिसमें कि किसी निर्वाचन सभा की तिथि, समय, स्थान और अन्य का विवरण या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को सामान्य अनुदेश घोषित किये गये हों।

(4) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है कारावास से, जिसको 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने से, जिसे दो हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों सहित दण्डनीय होगा।"

उपरोक्त विषय में एवं उपरोक्त कानूनी प्रावधानों की कड़ाई से पालना कराने के प्रयोजन से भारत निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का एवं इस निमित्त उसे सक्षमता प्रदान करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश सं. 3/9/(ES008)/94/JS-2 दिनांक 02.09.1994 प्रसारित किया है (जिसकी प्रति संलग्न है)।

अतः उक्त धारा 127–क के प्रावधानों एवं आयोग के उक्त आदेश दिनांक 02–09–1994 की पालना हेतु आप द्वारा निम्नांकित कार्यवाही संपन्न की जावें :–

1. उक्त धारा 127–क के प्रावधानों की अपेक्षानुसार यह सुनिश्चित किया जावें कि आपके द्वारा मुद्रित प्रत्येक निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर या ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रकीय हाशियों में उसके मुद्रक एवं प्रकाशकों के नाम एवं पते स्पष्ट रूप से अंकित किये जाये।
2. किसी भी निर्वाचन पम्फलेट, पोस्टर इत्यादि के मुद्रण के कार्य को लेने से पूर्व धारा 127–क(2) की शर्तो के अनुसार निर्वाचन आयोग के उक्त आदेश दिनांक 2.9.1994 में दिये गये **परिशिष्ट–क** में विहित प्रपत्र में प्रकाशक से घोषणा प्राप्त की जावें। यह घोषणा पत्र प्रकाशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होगा और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित किया जायेगा जो प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानते हो।
3. धारा 127–क(2) के अधीन अपेक्षित प्रकाशक द्वारा प्राप्त की गई **परिशिष्ट–क** में घोषणा और मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियाँ उसके मुद्रित किये जाने के 3 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आप द्वारा प्रेषित की जायेगी।
4. उपरोक्त **परिशिष्ट–क** में विहित प्रपत्र में की गई घोषणा को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अग्रेषित करते समय आप द्वारा भी इसे प्रमाणित किया जायेगा।
5. उपरोक्त मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियों एवं **परिशिष्ट–क** में उपरोक्त घोषणा पत्र के साथ निर्वाचन आयोग के उक्त आदेश दिनांक 2.9.1994 में बताये गये **परिशिष्ट–ख** में विहित प्रपत्र में मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या और ऐसे कार्य के लिये कीमत से संबंधित सूचना भी आप द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को उक्त निर्धारित तिथि के भीतर प्रस्तुत की जायेगी।
6. आप द्वारा मुद्रित प्रत्येक निर्वाचन पम्फलेट, पोस्टर, हैंडबिल, प्लेकार्ड, विज्ञापन आदि के संबंध में उपरोक्त वर्णित सूचना (परिशिष्ट–क, परिशिष्ट–ख एवं मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियाँ) प्रत्येक ऐसे दस्तावेज के मुद्रण के तीन दिनों के भीतर सामुहिक रूप

से नहीं बल्कि अलग–अलग रूप से मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित की जावें।

उपरोक्त धारा 127–क के किन्हीं भी प्रावधानों और भारत निर्वाचन आयोग के उपरोक्त आदेश दिनांक 2.9.1994, जिसकी प्रति संलग्न है में दिये गये निर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन/अतिक्रमण किये जाने पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी, जिसमें सुसंगत नियमों के अधीन मुद्रणालयों के अनुज्ञा पत्र को समाप्त किये जाने की कार्यवाही भी शामिल है।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट–क

निर्वाचन पोस्टरों, पैम्फलेटों इत्यादि के प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रोफार्मा

(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127–क देखिये)

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... (नाम)
..... निवासी (गाँव/कस्बा) ..... (जिला) ..... (राज्य)
एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं ..... (निर्वाचन पोस्टर, पैम्फलेट इत्यादि की
संक्षिप्त विशिष्टियां दें) का प्रकाशक हूँ ..... (मुद्रणालय का नाम)
..... द्वारा मुद्रित किया गया है।

(प्रकाशक के हस्ताक्षर)

स्थान : .....

तारीख : .....

पूरा पता .....

प्रमाणित *(प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले व्यक्ति द्वारा)*

हस्ताक्षर
(नाम और पता)

हस्ताक्षर
(नाम और पता)
प्रतिहस्ताक्षर

हस्ताक्षर
(मुद्रक का नाम और पता)

परिशिष्ट–ख

निर्वाचन पोस्टरों, पैम्फलेटों इत्यादि के मुद्रण के बारे में सूचना देने का प्रोफार्मा

1. मुद्रक का नाम और पता .....
2. प्रकाशक का नाम और पता .....
3. प्रकाशक के मुद्रण आदेश की तारीख .....
4. प्रकाशक की घोषणा की तारीख .....
5. निर्वाचन पोस्टरों, पैम्फलेटों इत्यादि की संक्षिप्त विशिष्टियां .....
6. उपर्युक्त मुद्रित दस्तावेज की प्रतियों की संख्या .....
7. मुद्रण की तारीख .....
8. उपर्युक्त दस्तावेज के बारे में प्रकाशक द्वारा प्रभारित मुद्रण प्रभार (पेपर की लागत सम्मिलित करके) .....

.....

स्थान : .....

तारीख : .....

(मुद्रक के हस्ताक्षर)

मुद्रक की मुहर